पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

गोबर-धन

ग्रामीण भारत में मवेशियों के गोबर तथा अन्य जैविक कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए जन आंदोलन

1. परिचय

गोबर-धन योजना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण–2 के अंतर्गत प्राथमिकता से चलाया जा रहा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। गोबर–धन का लक्ष्य गांवों को उनके मवेशियों के गोबर और जैविक कचरे के प्रभावी प्रबंधन में सहायता देना है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ''नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राज्य सरकारों, सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थानों और ग्राम समुदायों के साथ काम कर रहा है ताकि इसे एक 'जन आंदोलन' बनाकर गोबर–धन के लिए सामुदायिक रूप से किए जा रहे प्रयासों के परिणाम को हासिल किया जा सके। इससे सामुदायिक जागरूकता एवं स्वामित्व को बढ़ावा मिलने और गांवों को मवेशियों, कृषि अवशेष तथा अन्य जैविक कचरे के प्रबंधन में सहायता मिलने की उम्मीद है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग प्रत्येक जिले को तकनीकी सहायता और 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देता है ताकि मवेशियों के गोबर और जैविक कचरे का सुरक्षित प्रबंधन हो, गांव वाले इस अपशिष्ट से धन सृजित कर सके, वातावरण की स्वच्छता में सुधार हो, और रोगाणू–जनित बीमारियां कम हों।

2. गोबर-धन के उद्देश्य

गांव को स्वच्छ **बनाने में गांव वालों को उनके मवेशियों के गोबर और जैविक कचरे के सुरक्षित प्रबंधन में सहायता देना।**

शोधन प्रणालियों का उपयोग करके **समुदायों को मवेशियों के गोबर और जैविक कचरे को धन में बदलने में मदद देना।**

ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग हेतु **जैविक कचरे विशेषकर मवेशियों के गोबर को बायोगैस और जैविक खाद में बदलना।**

ग्रामीण क्षेत्रों में **कचरे के प्रभावी निपटान के जरिए स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देना और रोगाणू–जनित बीमारियों को कम करना।**

गोबर–धन इकाइयों की स्थापना, प्रचालन और प्रबंधन में **उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह और युवा समूहों को शामिल कर ग्रामीण रोजगार और आय सृजन अवसरों को बढ़ावा देना।**

3. गोबर-धन के लाभ

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गोबरधन केंद्र बिंदु है।

कचरा प्रबंधन

गांवों के प्रमुख ठोस कचरे अर्थात मवेशियों के गोबर के प्रबंधन में मदद करना और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देना।

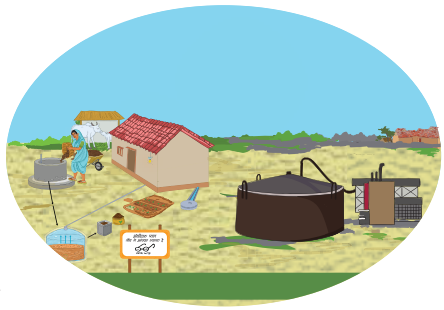

स्वास्थ्य रक्षा

काफी हद तक रोगाणू–जनित बीमारियां कम होंगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा।

रोजगार के अवसर बढ़ाना

स्वयं सहायता समूहों और किसान समूहों के लिए रोजगार और आय सृजन अवसरों को बढ़ावा देना।

जैविक खाद का सृजन

जैविक खाद के सृजन में सहायता करना जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

बचत

घरेलू आय और बचत को बढ़ावा देना क्योंकि ईंधन के रूप में बायोगैस के उपयोग से एलपीजी लागत में कटौती होगी।

4. गोबर-धन कार्यान्वयन के मार्गदर्शक सिद्धांत

- गांवों के मवेशियों के गोबर के निपटान के लिए गोबरधन को जन आंदोलन की पहल के रूप में कार्यान्वित करना।
- राज्य, जिलों और ब्लॉक प्रशासन द्वारा ग्रामीण आबादी के मध्य मवेशियों के गोबर और जैविक कचरे के सुरक्षित प्रबंधन हेतु आकर्षक व्यापार मॉडल को लोकप्रिय बनाना।
- स्थानीय स्तर पर गहन आईईसी के माध्यम से गोबर–धन संबंधी व्यापार मामले और सामुदायिक सामूहिक कार्य को बढ़ावा देना।
- जिन गांवों में मवेशियों की संख्या अधिक है, उन्हें प्राथमिकता देना।
- 50 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान के उपयोग में जिले के कई गांवों को सक्षम बनाना।
- ऐसी अवसंरचना का निर्माण करना जिसका स्वामित्व, प्रचालन एवं रखरखाव समुदाय स्वयं करें।

बनास डेयरी, सहकारी रूप से संचालित केंद्रीय ऐनेरोबिक डायजेस्टर मॉडल, बनासकांठा, गुजरात

उद्यमी द्वारा संचालित केंद्रीय ऐनेरोबिक डायजेस्टर मॉडल, उमरेथ, आनन्द, गुजरात

राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के तत्वाधान में गुजरात सहकारी के नेतृत्व का समर्थित मॉडल, जकारीयापुर, आनन्द, गुजरात

अधिक जानकारी के लिए, https://sbm.gov.in/gbdw20/ पर जाएं।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर